दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आप.वि.वा. 533/2021

लैशराम प्रेमिला देवी व अन्य .....याचीगण

द्वारा श्री आर.एस. मिश्रा, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा श्री हिरेन शर्मा, राज्य के अति.लो.अभि.।

श्री प्रमोद त्यागी व श्री आनंद मिश्रा, शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 के अधिवक्तागण।

और

आप.वि.वा. 534/2021

निर्मला खत्री व अन्य .....याचीगण

द्वारा श्री प्रमोद त्यागी व श्री आनंद मिश्रा, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा श्री हिरेन शर्मा, राज्य के अति.लो.अभि.।

श्री आर.एस. मिश्रा, शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 के अधिवक्ता।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमोणयम प्रसाद

आदेश

23.02.2021

आप.वि.वा. 533/2021 में आप.वि.आ. 2683/2021 (छूट)

आप.वि.वा. 534/2021 में आप.वि.आ. 2684/2021 (छूट)

सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई।

आप.वि.वा. 533/2021

आप.वि.वा. 534/2021

1. आप.वि.वा. सं. 533/2021, पुलिस थाना वसंत कुंज (उत्तर), नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 509, 506, 323, 341, 354, 354क व 34 के तहत अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी संख्या 239/2017 दिनांकित 12.05.2017 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है। उक्त प्राथमिकी में शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी सं. 2 ने आरोप लगाया है कि दिनांक 12.05.2017 को, जब वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त ने उसे पीटा और उसका शील भंग किया और यौन उत्पीड़न का कृत्य भी किया।

प्राथमिकी की बातों को यहां दोहराया नहीं जा रहा है।

2. आप.वि.वा. सं. 534/2021, पुलिस थाना वसंत कुंज (उत्तर), नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 509, 506, 323, 341, 354, 354क व 34 के तहत अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी संख्या 238/2017 दिनांकित 12.05.2017 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

3. उक्त प्राथमिकी में शिकायतकर्ता आप.वि.वा. सं. 533/2021 में आरोपी है। इस प्राथमिकी में आरोप यह है कि याचीगण, इसमें, ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध किए हैं अर्थात महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। सभी प्राथमिकियों में शामिल पक्षकार 95/9, किशनगढ़, वसंत कुंज, दिल्ली के निवासी हैं और पड़ोसी हैं।

4. यह कहा गया है कि कुछ सामान्य मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के हस्तक्षेप से, पक्षकारों ने अपने विवाद को सुलझा लिया है और पक्षकारों के बीच एक मौखिक समझौता हो गया है। यह कहा गया है कि दोनों पक्षकारों, आप.वि.वा. सं. 533/2021 आप.वि.वा. 534/2021 में याचीगण व प्रत्यर्थीगण, को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मामले में समझौता करने

का फैसला किया।

5. उक्त मौखिक समझौते के अनुसार, पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की है कि वे उपरोक्त प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। यह कहा गया है कि वे इस बात पर सहमत हुए थे कि वे एक-दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। यह अनुरोध किया गया है कि प्राथमिकियों को रद्द कर दिया जाए क्योंकि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है।

6. पक्षकारों ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए अपने-अपने शपथपत्र भी दाखिल किए हैं कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। यह भी कहा गया है कि दोनों याचिकाओं में शिकायतकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है यदि वर्तमान प्राथमिकियां और उनसे उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियां रद्द कर दी जाती हैं।

7. दुर्भाग्य से, अब या तो किसी पक्षकार को उनके खिलाफ शुरू की गई शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए या किसी पक्षकार पर दबाव डालने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ के तहत अपराधों का आरोप लगाते हुए प्राथमिकियां दर्ज करना एक प्रवृत्ति बन रही है। भारतीय दंड

संहिता की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ के तहत अपराध गंभीर अपराध हैं। इस तरह के आरोप उस व्यक्ति, जिसके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, की छवि को धूमिल करने का प्रभाव रखते हैं। इन अपराधों के संबंध में आरोप बिना सोचे-समझे नहीं लगाए जा सकते हैं। यह प्रथा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वर्तमान मामला एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस तरह से पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ धारा 354 और 354क के तुच्छ आरोप लगाए गए हैं। पार्किंग के बारे में एक छोटी सी लड़ाई को महिलाओं का शील भंग करने का आरोप लगाकर बढ़ा दिया गया है। यह न्यायालय इस तथ्य पर न्यायिक रूप से ध्यान दे सकता है कि पुलिस बल बहुत सीमित है। पुलिस कर्मियों को तुच्छ मामलों की जांच में समय बिताना पड़ता है। उन्हें न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेना पड़ता है, स्थिति आख्या आदि तैयार करनी पड़ती है। परिणाम यह होता है कि गंभीर अपराधों में जांच से समझौता हो जाता है और घटिया जांच के कारण आरोपी बच जाते हैं। केवल अपने परोक्ष उद्देश्य के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354,354क, 354ख, 354ग, 354घ आदि के तहत तुच्छ शिकायतें दर्ज करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का समय आ गया है। इन वर्तमान याचिकाओं में याचीगण में से कुछ ऐसे

छात्र हैं जिन्हें यह समझना चाहिए कि न्यायालय और पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए तथा यह नहीं मानना चाहिए कि कुछ भी और सब कुछ निपटाया जा सकता है और वे झूठे मामले दर्ज करके बच सकते हैं।

8. पक्षकारों के बीच हुए आपसी समझौते को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय संतुष्ट है कि वर्तमान कार्यवाहियों के साथ अभियोजन चलाने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। परिणामस्वरूप, पुलिस थाना वसंत कुंज (उत्तर), नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 509, 506, 323, 341, 354, 354क व 34 के तहत दर्ज प्राथमिकी सं. 238/2017 और प्राथमिकी सं. 239/2017 दिनांकित 12.05.2017 और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियों को एतद द्वारा रद्द किया जाता है। पक्षकार परस्पर समझौते और न्यायालय को दिए गए वचन से बंधे रहेंगे।

9. चूंकि पुलिस को अपराध की जांच करने में मूल्यवान समय बिताना पड़ा है और पक्षकारों द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाहियों में न्यायालय द्वारा काफी समय बिताया गया है, इसलिए यह न्यायालय याचीगण पर, झूठे और तुच्छ मामले दर्ज न करने की चेतावनी के साथ, जुर्माना लगाने का इच्छुक है।

आप.वि.वा. सं. 533/2021 में याचीगण को आज से तीन सप्ताह के भीतर 'डीएचसीबीए लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड' में रु. 30,000/- (तीस हजार रुपये केवल) की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है और आप.वि.वा. सं. 534/2021 में याचीगण को आज से तीन सप्ताह के भीतर 'डीएचसीबीए लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड' में रु. 30,000/- (तीस हजार रुपये केवल) की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। बैंक खाते का विवरण इस प्रकार है :-

खाता नामः	डीएचसीबीए लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड
खाता संख्याः	15530100009730
बैंक का नामः	यूको बैंक
शाखाः	शेरशाह रोड, नई दिल्ली
आईएफएससी कोडः	UCBA0001553

आदेश का अनुपालन दिखाने के लिए रजिस्ट्री में रसीदों की प्रति भी दाखिल की जाए।

8. याचिकाओं का उपरोक्त शर्तों पर निपटान किया जाता है।

सुब्रमोणयम प्रसाद, न्या.

23 फरवरी, 2021
पीएसटी/राहुल

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*